



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082020-221048
CG-DL-E-10082020-221048

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394]	नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2020/श्रावण 19, 1942
No. 394]	NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2020/SHRAVANA 19, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2020

आयकर

सा.का.नि. 499(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क की उपधारा (8) के खंड (घ) और धारा 206कक की उपधारा (7) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (19 वां संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, --

नियम 37खण्ड के उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3) धारा 206कक के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अनिवासी है, कोई कंपनी या कोई विदेशी कंपनी नहीं है, लागू नहीं होंगे यदि धारा 139क के उपबंध नियम 114कख के कारण ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होते हैं।”;

3. मूल नियम के नियम 114कक्ष के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“ऐसे व्यक्तियों का या के वर्ग जिनको धारा 139क के उपबंध लागू नहीं होंगे।

114कक्ष (1) धारा 139क के उपबंध किसी ऐसे अनिवासी को लागू नहीं होंगे जो कोई कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनिवासी कहा गया है) जिसने पूर्व वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट निधि में विनिधान किया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की हैं, अर्थात् :—

- (i) अनिवासी ने भारत में पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट निधि में विनिधान से आय से भिन्न कोई आय अर्जित नहीं की है।
- (ii) अनिवासी की आय पर अधिनियम की धारा 194ठब्बख में विनिर्दिष्ट दरों पर देय किसी आय-कर की स्रोत पर कटौती की गई है और उसे विनिर्दिष्ट निधि द्वारा केंद्रीय सरकार को विप्रेषित किया गया है; और
- (iii) अनिवासी ने विनिर्दिष्ट निधि के लिए निम्नलिखित व्यौरे और दस्तावेज दिए हैं, अर्थात् :—
 - (क) नाम, ई मेल आई डी, टेलीफोन नं.;
 - (ख) भारत से बाहर के उस देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र का पता जिसका वह निवासी है;
 - (ग) यह घोषणा कि वह भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र का निवासी है;
 - (घ) उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की कर पहचान संख्या जिसका वह निवासी है और यदि ऐसी संख्या उपलब्ध नहीं है तो ऐसी विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा, जिसका उसने निवासी होने का दावा किया है, अनिवासी की पहचान की जाती है।

(2) विनिर्दिष्ट निधि उस वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए तिमाही विवरण प्रस्तुत करेगी, जिसमें इलैक्ट्रानिक ढंग से आय-कर प्रधान महानिदेशक (तंत्र) या आय-कर महानिदेशक (तंत्र) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्ररूप सं. 49खक में उपनियम (1) के खंड (iii) में निर्दिष्ट व्यौरे और दस्तावेज उसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं तथा उस वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंत से पन्द्रह दिन के भीतर उपनियम (1) के उपखंड (ग) के खंड (iii) में निर्दिष्ट घोषणा अपलोड करेगी, जिससे ऐसा विवरण उपनियम (3) के अधीन आय-कर प्रधान महानिदेशक (तंत्र) या आय-कर महानिदेशक (तंत्र) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्ररूपों और मानकों के अनुसार संबंधित है।

(3) आय-कर प्रधान महानिदेशक (तंत्र) या आय-कर महानिदेशक (तंत्र) प्ररूप 49खक को प्रस्तुत करने और उसके सत्यापन के प्रयोजनों के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट करेंगे तथा उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार तिमाही विवरण प्रस्तुत करने और उसके सत्यापन के संबंध में दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होंगे।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) “विनिर्दिष्ट निधि” से ऐसी निधि अभिप्रेत है, जो न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी अथवा निगमित निकाय के रूप में भारत में स्थापित या निगमित की गई है, जिसे प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधियां) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित है तथा जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है;
- (ख) “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र” का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में है।”

4. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में प्ररूप सं. 49ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप सं. 49खक

[नियम 114कक्ष देखें]

(वित्तीय वर्ष) की तिमाही के लिए नियम 114कक्ष में निर्दिष्ट अनिवासी के संबंध में विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला तिमाही विवरण

1. विनिर्दिष्ट निधि का नाम
2. स्थायी लेखा संख्या/आधार संख्या
3. नियम 114कक्ष के उपनियम (1) में निर्दिष्ट अनिवासी के ब्यौरे

क्रम सं.	नाम	ई-मेल पता	संपर्क संख्या	भारत के बाहर उस देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र का पता, जिसका अनिवासी निवासी है	कर पहचान संख्या, यदि कोई हो	विशिष्ट संख्या, जिसके आधार पर अनिवासी को उस देश की या विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार द्वारा पहचाना जाता है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है (यदि कर पहचान संख्या उपलब्ध नहीं है तो प्रस्तुत किया जाए)

सत्यापन

मैं, (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री, जिसका स्थायी लेखा संख्या/आधार संख्या है, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से ऊपर दी गई जानकारी सही और पूर्ण है।

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

स्थान

तारीख

संलग्नक (अपलोड किए जाने के लिए)

नियम 114कक्ष के उपनियम (1) के खंड (iii) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट अनिवासी से प्राप्त घोषणा।"

[अधिसूचना सं. 58/2020/फा.सं. 370133/8/2020-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 469(अ), तारीख 28 जुलाई, 2020 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2020

INCOME-TAX

G.S.R. 499(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (8) of section 139A and clause (ii) of sub-section (7) of section 206AA read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Income-tax (19th Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 37BC, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
“(3) The provisions of section 206AA shall not apply in respect of payments made to a person being a non-resident, not being a company, or a foreign company if the provisions of section 139A do not apply to such person on account of rule 114AAB.”.
3. In the principal rules, after rule 114AAA, the following rule shall be inserted, namely:—

“Class or classes of person to whom provisions of section 139A shall not apply.

114AAB. (1) The provisions of section 139A shall not apply to a non-resident, not being a company, or a foreign company, (hereinafter referred to as the non-resident) who has, during a previous year, made investment in a specified fund if the following conditions are fulfilled, namely:—

(i) the non-resident does not earn any income in India, other than the income from investment in the specified fund during the previous year;

(ii) any income-tax due on income of non-resident has been deducted at source and remitted to the Central Government by the specified fund at the rates specified in section 194LBB of the Act; and

(iii) the non-resident furnishes the following details and documents to the specified fund, namely:—

- (a) name, e-mail id, contact number;
- (b) address in the country or specified territory outside India of which he is a resident;
- (c) a declaration that he is a resident of a country or specified territory outside India; and
- (d) Tax Identification Number in the country or specified territory of his residence and in case no such number is available, then a unique number on the basis of which the non-resident is identified by the Government of that country or the specified territory of which he claims to be a resident.

(2) The specified fund shall furnish a quarterly statement for the quarter of the financial year, in which the details and documents referred to in clause (iii) of sub-rule (1) are received by it, in Form No.49BA to the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him, electronically and upload the declaration referred to in sub-clause (c) of clause (iii) of sub-rule (1) within fifteen days from the end of the quarter of the financial year to which such statement relates in accordance with the procedures, formats and standards specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) under sub-rule (3).

(3) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for the purposes of furnishing and verification of Form 49BA and shall be responsible for the day-to-day administration in relation to the furnishing and verification of quarterly statement in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation.- For the purposes of this rule-

(a) “specified fund” means any fund established or incorporated in India in the form of a trust or a company or a limited liability partnership or a body corporate which has been granted a certificate of registration as a Category I or Category II Alternative Investment Fund and is regulated under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, and which is located in any International Financial Services Centre;

(b) “International Financial Services Centre” shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).”.

4. In the principal rules, in Appendix II, after Form No.49B, the following Form shall be inserted, namely: —

“FORM NO. 49BA

[See rule 114AAB]

Quarterly statement to be furnished by specified fund in respect of a non-resident referred to in rule 114AAB for the quarter of of (Financial Year)

1. Name of specified fund
2. Permanent Account Number / Aadhaar Number:
3. Details of non-resident referred to in sub-rule (1) of rule 114AAB

Sl. No.	Name	E-mail address	Contact number	Address in the country or specified territory outside India of which the non-resident is resident	Tax Identification Number, if any	Unique number on the basis of which the non-resident is identified by the Government of that country or the specified territory of which he claims to be a resident (to be furnished if Tax Identification Number is not available)

Verification

I (full name in block letters), son/daughter of having permanent account number / Aadhaar number, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given above are correct and complete.

Signature

Name and designation

Place

Date

Attachments (to be uploaded)

Declaration received from the non-resident as referred to in sub-clause (c) of clause (iii) of sub-rule (1) of rule 114AAB.”.

[Notification No. 58/2020/F. No. 370133/08/2020-TPL]

ANKUR GOYAL, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section-3, Sub Section (ii) *vide* number S.O. 969(E) dated the 26th March, 1962 and last amended by the Income-tax (18th Amendment) Rules, 2020 *vide* notification number G.S.R. 469(E), dated the 28th July, 2020.